From No. III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अदालत .... उपखण्ड अधिकारी .... (मुकाम) .... मा०जं० ....

.... सुन्दरदेवी .... बनाम .... ग्रा०प० सिणगारी/मा०जं० ....

किस्म मुकदमा .... 75 RLRact .... नं. .... 60/18 .... सन् ....

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए ।
4.3.18	अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपील विरुद्ध रेस्पा० के अन्तर्गत धारा 75 RLRact के तहत पेश कि। अपील Subject to limitation दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पा० जरिये सम्मन तलब होकर वास्ते दिनांक 11.4.18 को पेश हो। SDO	
11.4.18	पत्रावली आज पेश हुई। वकील अपीलांट उप०/ रेस्पा० बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते [illegible] आइन्दा दि० 6/7/18 को पेश हो। SDO	
2/5/18	राज्य सरकार एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महो. पाली के निर्देशानुसार पत्रावली आइन्दा कैम्प लोक अदालत ग्राम पंचायत मुख्यालय ...सिणगारी मा०जं०... को पेश हों। दिनांक ...2/5/18... उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन	
	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वारे 2015) ग्राम पंचायत मुख्यालय ...सिणगारी... पेश हुई। समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए/उपस्थित पक्षकारान को बाद समझाईश प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका अतः पत्रावली पुनः न्यायालय में आइन्दा दिनांक ...24/7/18... को पेश हो।	Hiralal

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए ।
19/2/19	पक्षकार अनुपस्थित। आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया गया है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 12/5/19 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मा.जं.	
12/5/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील अपी. उप.। पत्रावली तालिका आदेश की पालना में आइंदा दिनांक 28/5/19 को पेश हो। SDOMJ	
28/5/19	पत्रावली पेश हुई [illegible] महोदय, आज पीठासीन [illegible] पर हैं। अन्य कार्य [illegible] पर है बैठक में [illegible] अतः पत्रा[illegible] दिनांक 16/7/19 [illegible] पेश हो। उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन	
16/7/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील अपीलान्ट कोर्ट समय के दौरान अनु.। वकील अपीलान्ट आगामी तारीख पेशी पर अनुपस्थिति का कारण लिखित में व्यक्त करते हुए उपस्थित रहें। अन्यथा अग्रिम कार्यवाही अमल में ली जावेगी। पत्रावली आइंदा दिनांक 27/8/19 को पेश हो। सही अंग्रेजी [illegible]	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन

बइलजास शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 60/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोन्डेट
1. सुन्दरदेवी पत्नि दीपाराम		1. सरपंच ग्राम पंचायत माण्डा 2. मोतीलाल 3. हीराराम पि0 दीपाराम 4. लीला पुत्री दीपाराम 5. प्रेम पुत्री दीपाराम

निर्णय अन्तर्गत धारा– 75 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 बसिलसिले नामान्तरकरण सं. 333 दिनांक 28.03.91

वकील अपीलाण्ट :– श्री श्याम लाल परिहार उपस्थित।

निर्णय दिनांकः– 27/8/19

अपीलाण्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. लै.रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत इस आशय पर पेश की है कि सरहद मौजा ग्राम निम्बली माण्डा के खसरा 576, 583, 584, 585, 587, 588, 613, 621, 622 तथा 623 कुल खसरा 10 कुल रकबा 19.6906 हैक्टर संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें अपीलाण्ट के पति दीपाराम का 1/3 हिस्सा दर्ज था। अपीलाण्ट के पति का देहान्त हो चुका है तथा अपीलाण्ट के पति की मृत्यु के पश्चात फौतदगी पर नामान्तरकरण भरते समय राजस्व अधिकारीयों को अपीलाण्ट तथा रेस्पों संख्या चार तथा पांच का नाम भी दर्ज करना था जबकि केवल रेस्पों संख्या 2 व 3 का ही नाम दर्ज किया गया। जिससे उक्त नामान्तरकरण निरस्त करने योग्य है, इसलिए उक्त नामान्तरकरण संख्या 333 को निरस्त करवाकर पुनः सुनवाई कर नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु यह अपील पेश है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रस्पों0 के नोटिस बाद तामिल शामिल मिसल है।

रेस्पोंडेंटगण बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहे अतः इनके विरूद्ध पुर्व में दिनांक 11.04.18 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा एक तरफा कार्यवाही अमल में ली जा चुकी है। वकील अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस में जाहिर किया कि अपीलांट के पति दीपाराम की मृत्यु के पश्चात फौतेदगी म्यूटेशन भरते समय राजस्व अधिकारीयों एवं सरपंच द्वारा बिना किसी भी प्रकार उतराधिकारीयों की जांच किये एवं बिना उतराधिकारीयों एवं पक्षकारान के बयान लिए नामान्तरकरण भरा गया जिसमें अपीलाण्ट तथा रेस्पो0 संख्या चार तथा पांच का नाम दर्ज करना था जबकि केवल रेस्पों संख्या 2 व 3 का नाम ही दर्ज किया गया। जबकि अपीलाण्ट तथा रेस्पों संख्या 4 व 5 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी है। वादग्रस्त आराजी में अपीलाण्ट प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी है तथा दीपाराम के हक हिस्से में /3 में 1/5 अर्थात 1/15 वां हिस्सा दर्ज करना था जो कि नहीं किया गया। अतः नामान्तरकरण काबिल खारीज है। अपीलांट द्वारा दिनांक 05.01.18 को पटवारी हल्का किसान क्रेडिट बनवाने हेतु जमाबंदी लेने जाने पर उक्त गलत म्यूटेशन के बारे में पता चला एवं दिनांक 11.01.18 को पटवारी हल्का से म्यूटेशन की नकल प्राप्त करने पर उक्त म्यूटेशन का इल्म हुआ। उक्त इल्म से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट को इससे पूर्व नामान्तरकरण बाबत कोई इल्म नहीं था। अतः अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है। वकील

(शैलेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
मारवाड़ जंक्शन

अपीलांट की बहस पर गौर करते हुए समय कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जावे।

हमने राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। हमने अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये धारा–5 म्याद अधिनियम का प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र का अवलोकन किया। अपीलाण्ट के वकील की बहस पर मनन किया गया।

सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रा0पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम को निर्णित करना आवश्यक है। चुंकि म्याद के तकनिकी बिन्दु पर किसी पक्षकार की हक हिस्से की मांग को खारिज कर देना न्यायोचित नहीं है, तथा विवादित नामान्तरकरण संख्या 333 की अपीलाण्ट को नकल जो कि पत्रावली के साथ संलग्न है, दिनांक 11.01.18 को प्रदान की हुई एवं अपीलाण्ट के कथनानुसार राजस्व रेकर्ड की इन नकलों को प्राप्त करने पर ही उसको अपना नाम नामान्तरकरण में दर्ज नही होना पाया जाना बताया गया है। उक्त आधारों पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

विचाराधीन अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 पर विचार किया जावे तो जैसा कि वकील अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया गया है कि वक्त फौतदगी म्यूटेशन भरते समय राजस्व अधिकारी/कर्मचारीयों द्वारा बिना किसी विधिक जांच किये बिना अपीलाण्ट को सुनावाई का अवसर दिये एवं बिना साक्ष्य लिये बाले–2 अपीलाण्ट का तथा रेस्पों संख्या 4 व 5 का नाम दर्ज नहीं करके केवल रेस्पों संख्या 2 व 3 का नाम भर दिया गया है जबकि अपीलाण्ट द्वारा अपील में प्रस्तुत सजरे के अनुसार अपीलाण्ट तथा रेस्पो संख्या 4 व 5 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी है जबकि पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण संख्या 333 में वक्त फौतदगी नामान्तरकरण भरते समय केवल रेस्पों संख्या 2 व 3 नाम भरा गया जिस पर तत्कालीन पटवारी की टिप्पणी भी की गई है। जिसमें फौतदगी नामान्तरकरण में केवल पुत्रों का नाम दर्ज किया जाना बताया गया है। तथा संलग्न नवीनतम जमाबंदी संवत 2071–74 में भी केवल रेस्पों संख्या 2 व 3 का नाम ही दर्ज है जो कि विधि अनुसार नहीं है। इसलिए उक्त अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है।

–::आदेश::–

अतः अपीलाण्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 333 दिनांक 28.03.91 सरहद मौजा ग्राम निम्बली माण्डा पटवार क्षेत्र निम्बली माण्डा को अपास्त किया जाकर तहसीलदार मारवाड जंक्शन को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है, कि अपीलाण्ट अर्थात मृतक दीपाराम की पत्नि की पहचान की जांच करें तथा मृतक दीपाराम के सभी विधिक वारिसान की जांच करते हुए सभी पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें तथा पालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार मारवाड जंक्शन को पालनार्थ प्रेषित की जावें। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27/8/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2020.02.21 10:03:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: